जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 08.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज मुरहू प्रखण्ड के किसान भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें गांवों के ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद् के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख एवं समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। उक्त बैठक असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामों में पत्थरगड़ी की आड़ में लोगों को दिग्भ्रमित करने तथा विधि–व्यवस्था खराब करने के हो रहे प्रयास पर परिचर्चा की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त, खूंटी श्री सूरज कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खूंटी की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि पारंपरिक पत्थरगड़ी आज का मुद्दा नहीं है। आज का विषय पत्थरगड़ी के स्वरूप को विकृत कर संविधान की गलत व्याख्या कर ग्रामीणों को गलत संदेश दिया जा रहा है, इसके विवेचना के संबंध में है। बाहरी तत्व संविधान की पूरी बातों को उल्लेख नहीं करते हैं। आधी–अधूरी बातें लिखकर संविधान के अनुच्छेदों का गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 11, 12, 13, 13(3), 19, 19(5) एवं 19(6) तथा पांचवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के साथ प्रेमचन्द मुर्मू एवं प्रभूनारायण सामुएल द्वारा की गई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के इन प्रावधानों को जानने के बाद यह संदेह नहीं होना चाहिए की आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के तहत् ग्राम सभा की परिभाषा के अंतर्गत देश के ग्रामीण आते हैं जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में आता है। मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण आपका वोटर कार्ड है। बिना वोटर कार्ड के ग्राम सभा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आधार कार्ड की महत्ता आज सर्वाधिक है। क्योंकि आपके फिंगर प्रिंट एवं रेटिना की पहचान से आपकी पहचान करता है। आपके हिस्से का लाभ कोई बिचौलिया नहीं ले इस उद्देश्य से इसे बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो आकर हमें सूचित करें, जिला प्रशासन उसे हरसंभव दूर करेगी। विकास के लिए बजट की आवश्यकता होती है। जब तक बजट की राशि नहीं आती है तो हम उसे श्रमदान करने के लिए भी पूरा कर सकते हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं। शौचालय आज की जरूरत बन गई है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। जहां तक पानी का सवाल है उसे शौचालय निर्माण पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण में पूरा किया जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। आज हमारे जिले में एक ऐसे फसल की खेती की जा रही है जो आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दगी। इसलिए आपको वैसे असामाजिक लोगों को पहचानने की जरूरत है जा संविधान की व्याख्या की आड़ में आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा

कि पत्थरगड़ी ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका अनुसरण करें। पत्थरगड़ी होना चाहिए नशामुक्त ग्राम का, स्वच्छ ग्राम का, समृद्ध ग्राम का, जिससे गांव ही नहीं पूरे जिले एवं राज्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। उपायुक्त ने कहा कि आगे भी इस तरह की परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि इसके लिए आप संविधान को पढ़कर आएं ताकि परिचर्चा में सांविधानिक अधिकारों को जानने में सुविधा मिले।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खट्टी ने कहा कि वर्तमान स्वरूप जो पत्थरगड़ी का है इससे बाहरी तत्व अपना हित साध रहे हैं। इससे सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। 15 वर्ष माओवाद एवं उग्रवाद का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा। आपने एवं पुलिस प्रशासन ने इसके लिए कई कुर्बानियां दी तब जाकर माओवाद–उग्रवाद तब जाकर इससे बहुत हद तक राहत मिली है। यहां की परम्परा, संस्कृति में लोगों का स्वागत पैर धोकर किया जाता है। और बाहरी तत्व यह फैलान में लगे हैं कि लोगों को गावों में घुसने मत दो। यह किस तरह की पत्थरगड़ी है आप समझ सकते हैं। यहां के जनप्रतिनिधि पर हमले हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ प्रजातंत्र पर हमला है। असामाजिक तत्वों द्वारा गांधी–इरविन समझौता का हवाला देकर फिर से परतंत्रता, का गुलामी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। विकास की गति को पीछे ढकेलकर, अफीम की खेती की जा रही है। यह पूरी तरह समाज को, आपके वंश को खत्म करने की साजिश है। उनकी उन साजिशों समझ। उन्होंने अपील की कि सही बातों को समझें एवं गांव जाकर लोगों को समझाएं। इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसके चपेट में आने के बाद पूरी नस्ल तबाह हो सकती है। इसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। आप प्रशासन को सहयोग करें, हम कार्रवाई अवश्य करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मुण्डा संस्कृति उत्कृष्ट संस्कृति है। इसे विकसित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोई भी योजना जो ग्राम सभा अनुमोदित करके देती है उसी का क्रियान्वयन किया जाता है। दूसरी बात कि असामाजिक तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि ग्राम सभा में जिला प्रशासन, राज्य या देश का कानून नहीं चलेगा। जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा एवं आपके विकास के लिए है। असामाजिक तत्वों द्वारा यहां की जो समृद्ध परम्परा है उसे प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे लोग आपकी संस्कृति एवं आपका अस्तित्व समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अफीम की खेती करवाकर वे जमीन ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ी को भी समाप्त करने पर तुले हैं। जो संविधान की गलत व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वे लाखों रूपये की नौकरी करते हैं। हमें जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना आवश्यक है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है।

पर्व में ग्राम प्रधान जिउरी श्री बिनसाय मुण्डा ने कहा कि वर्तमान में जो पत्थरगड़ी की जा रही है वह पारंपरिक पत्थरगड़ी से भिन्न है तथा पत्थरगड़ी की आड़ में संविधान की गलत

व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें सरकार के विकास योजनाओं से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। हम सभी पत्थरगड़ी के इस स्वरूप का विरोध करते हैं। श्री मंगल सिंह मुण्डा ने कहा कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा इस बात से पता चलता है कि वे सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को जला देने, सरकार की मुद्रा को नहीं लेने, उनके विकास योजनाओं को नहीं लेने की बात करते हैं। यह कहीं से हमारे लिए मान्य नहीं है। गोड़ाटोली पंचायत के मुखिया श्री सोमा कैथा ने कहा कि इस तरह ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद एवं प्रखण्ड तथा जिला के पदाधिकारियों के साथ सीधी बात होने पर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए लोगों को संवैधानिक अधिकारों एवं उसमें निहित बातों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। पांचवीं अनुसूची अंतर्गत कौन से विशेष प्रावधान किये गए हैं उन्हें भी जानने की जरूरत है। यदि कोई भी असामाजिक तत्व संविधान के प्रावधानों को गलत तरीके से पेश कर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद् सदस्य चन्द्रप्रभात मुण्डा ने कहा कि इस तरह की समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर समाधान करने की जरूरत है। पत्थरगड़ी की आड़ में अफीम की खेती जो कि मीठा जहर है, इससे पूरा वजूद ही समाप्त हो जाएगा। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, के कई वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुरहू, प्रमुख मुरहू, उप प्रमुख मुरहू एवं विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान मुखिया आदि उपस्थित थे।